न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 51/2019 (75 एलआरए) सुजान सिंह वगै. बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2019/00065)

1 सुजानसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा
2 बद्रीसिंह पुत्र श्री गंगाराम जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा
3 सुरेशसिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा
4 बनेसिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा तहसील गंगधार जिला झालावाड़

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार गंगधार
दिनांक 11.11.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 609/2019

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री तोकीर आलम।
2 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 609/2019 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र

सं. 609/2019 पटवारी हल्का किटिया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक उन्हेल की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया परंतु अतिक्रमी उपस्थित नहीं हुए तथा एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 11.11.2019 को निर्णय पारित किया गया कि श्री सुजानसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा, बद्रीसिंह पुत्र श्री गंगाराम जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा, सुरेशसिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा, बनेसिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा तहसील गंगधार जिला झालावाड़ द्वारा इस वर्ष संवत 2076 में खसरा नं. 52 रकबा 4 बीघा किस्म बंजड़ पर कब्जा कर चारा काटकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी द्वारा गत वर्ष संवत 2075 में अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 1104 निर्णय दिनांक 02.01.2019 से बेदखल किया गया था एवं रु. 220 शास्ति कायम की गई थी अतिक्रमी द्वारा पुनः इस वर्ष भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार का अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पटवारी हल्का किटिया के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली कराए गए। पटवारी हल्का के बयान से भी इस तथ्य की पुष्ठि होती है। अतः अप्रार्थी को एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राम किटिया की आराजी खसरा नं. 52 रकबा 4 बीघा किस्म बंजड़ पर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही लगान 4.40 का 50 गुना 220 रु. पेनल्टी कायम की जाती है। फसल को जप्त राज करवा कर नीलामी के आदेश दिये जाते हैं। राशि की मांग कायमी पटवारी व टी.आर.ए. को करवाई जावे साथ ही अप्रार्थी का ग्राम कीटिया की आराजी खसरा नं. 52 रकबा 4 बीघा किस्म बंजड़ भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थीगण को एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास सजायाब किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी उन्हेल को भिजवाए गए। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री तोकीर आलम ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि सभी अपीलांट्स को विधिवत तामील नहीं हुई, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं ली और न कोई जांच की। केवल रिपोर्ट पटवारी की साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया है तथा एक ही दिन में निर्णय पारित कर दिया है जो कानून के खिलाफ है। चारों अपीलांट्स में से किस किस ने कितनी भूमि पर कब्जा किया है

इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं है इसके उपरांत भी चारों अपीलांट्स को संयुक्त रूप से सजायाब किया जो कानून के विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका स्पष्ट नहीं है। आदेशिका के अनुसार निर्णय दिनांक 11.11.2019 को किया जाना बताया गया है किंतु आदेशिका से प्रकट होता है कि आदेशिका में दिनांक 22.10.2019 अंकित है। आदेशिका तामील होने व उपस्थिति के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। अपीलांट्स का जमीन पर कब्जा नहीं है। पहले भी नहीं था जमीन भी बंजर बताई गई है उस पर से चारा काटने का आरोप बताया गया है जो सरासर गलत व झूंठ है। अपीलांट्स भविष्य में भी कब्जा नहीं करेगा इस बात की अण्डरटेकिंग पेश करने को तैयार हैं। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के मध्य नजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.11.2019 अपास्त किया जावे।

4 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता पैरोकार सरकार बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी है जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य ली गई है जो पर्याप्त है। कब्जा छोड़ने का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलांट्स को विधिवत तामील नहीं हैं। अधीनस्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट्स को कोई नोटिस जारी नहीं हुए हैं। नोटिस की तामील शुदा प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। पत्रावली की पेजिंग भी नहीं हैं। जबकि निर्णय में उल्लेख किया है कि श्री सुजानसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा, बद्रीसिंह पुत्र श्री गंगाराम जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा, सुरेशसिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा व बनेसिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी गुराडिया देवडा तहसील गंगधार जिला झालावाड को जरिये नोटिस तलब किया गया व अतिक्रमी उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार निर्णय में नोटिस जारी करने का उल्लेख है परंतु पत्रावली में नोटिस की तामील शुदा प्रति संलग्न नहीं हैं। आदेशिका में यह अंकित है कि रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर बाद नोटिस जारी दिनांक 06.11.2019 होकर पत्रावली दिनांक 11.11.2019 को मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र कीटिया पर पेश हो। लेकिन इस आदेशिका की पालना में जारी किए नोटिस का कोई विवरण अंकित नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को नोटिस जारी नहीं किये गये हैं। अतः अपीलांट्स को प्रकरण में विधिवत तामील

नहीं किया जाना पाया जाता है। आदेशिका में निर्णय दिनांक 22.10.2019 को पारित किया गया है जबकि निर्णय में दिनांक 11.11.2019 अंकित है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका व निर्णय में विरोधाभास है।

अपीलांट्स के अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि केवल पटवारी हल्का की साक्ष्य व रिपोर्ट के आधार पर एक ही दिन में निर्णय पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का के बयानों में अंकित है कि अपीलांट्स ने ग्राम कीटिया की सिवायचक भूमि खसरा नं. 52 रकबा 4 बीघा पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। अतिक्रमी लगातार उक्त भूमि पर काबिज है। पूर्ववर्ती वर्षों में अतिक्रमी को कब्जा हटाने बाबत समझाया गया था परंतु अतिक्रमी पुनः अतिक्रमण कर लेता है।

पटवारी हल्का के उक्त बयान किस दिनांक को किसके समक्ष लिये गये अंकित नहीं हैं। बयानों के अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी पटवारी की उपस्थिति व बयानों का विवरण अंकित नहीं हैं। बयानों से पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व के वर्षों में किये गये निर्णय को एवं उसकी पालना में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को बयानों से प्रमाणित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संवत 2075 में किये गए अतिक्रमण जिंस घास के संबंध में निर्णय की पत्रावली संख्या 1104/18 संलग्न की गई है परंतु इस पत्रावली में पारित निर्णय दिनंक 02.01.2019 पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलांट्स का जमीन पर कब्जा नहीं है। पहले भी नहीं था जमीन भी बंजर बताई गई है उस पर से चारा काटने का आरोप बताया गया है जो सरासर गलत व झूंठ है। इस संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट 4 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जे का रकबा बताया गया है व जिंस घास अंकित है। जबकि निर्णय में चारा काटने का आरोप है। चारा काटना व जिंस घास होना में अंतर है। जो जिंस घास है वह काश्तकार ने उगाई है या प्राकृतिक रूप से उगी हुई है अथवा बाड़ा या बाड़ लगाकर उगाई गई है कोई विवरण अंकित नहीं हैं। अतः पटवारी की रिपोर्ट व निर्णय में अंकित तथ्यों में भी अंतर है।

8 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स के विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में 4 बीघा पर जिंस घास अंकित है परंतु यह घास किस प्रकार की है तथा इससे अतिक्रमण किस प्रकार हुआ स्पष्ट नहीं हैं। बयानों से पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व के वर्षों में किये गये निर्णय को एवं उसकी पालना में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को

बयानों से प्रमाणित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संवत 2075 में किये गए अतिक्रमण जिंस घास के संबंध में निर्णय की पत्रावली संख्या 1104/18 संलग्न की गई है परंतु इस पत्रावली में पारित निर्णय दिनंक 02.01.2019 पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। प्रकरण में अपीलांट्स को एक माह का सिविल कारावास की सजा भी दी गई है। माननीय राजस्व मण्डल ने कई निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि धारा 91 के प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करके अप्रार्थी की अनुपस्थिति में सुनवाई का अवसर दिये बिना सजा दिया जाना कठोरतम दण्ड है। सजा जैसे कठोरतम दण्ड देने से पूर्व अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। इस प्रकरण में तो अपीलांट्स को नोटिस जारी होना भी नहीं पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत अस्पष्ट पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है एवं प्रकरण रिमाण्ड करने योग्य है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को विधिवत तामील करवाई जाकर एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए प्रकरण में एक माह की अवधि में पुनः निर्णय पारित करे।

26/2/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

10 निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2020.02.27 18:17:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: